बीकानेर भूमि विकास बैंक

आज प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सामने अस्तित्व का संकट होने के बावजूद बीकानेर के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक ने क्षेत्र में अपनी विशिष्ठ पहचान बनाने की पहल की है। बीकानेर जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक कृषि क्षेत्र में नई-नई संभावनाएं तलाश कर योजनाएं तैयार कर कृषकों की आवश्यकता के अनुरूप ऋण मुहैया करवा है। बैंक का पंजीयन 16.मार्च,1968 को सामन्तों व सूदखोरों से ग्रामीण किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए सस्ती ब्याज दर पर दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। बैंक ने अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य करते हुए जलकुण्ड, ट्रैक्टर, गोबर गैस, फार्म हाउस, छंटगाही, भेड़ बकरी पालन, डेयरी विकास इत्यादि के ऋण देना शुरु किया। इसके बाद बैंक ने पहल करते हुए नवकूप व नलकूप, पम्प सेट, डिग्गी, हौज, फव्वारा इत्यादि का ऋण वितरण कर जिले में हरित क्रान्ति के सपने को साकार बनाना आरंभ किया। आज बैंक द्वारा अन्य कार्यों के साथ ही अनाज गोदाम, जीप, कार, टेक्सी, मालवाहन, ट्रक तथा ग्रामीण क्षेत्र में खेतों में गृह निर्माण जैसी योजना लागू कर किसानों के पक्के मकान बनाने के सपने को साकार करने में सहयोगी बन रहा है। बैंक ने स्थापना के प्रथम वर्ष में केवल 70 हजार रुपये के ऋण वितरण से प्रारम्भ करते हुए 16.38 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक ऋण वितरित करने का लक्ष्य अर्जित किया है। वर्तमान में बैंक के कुल सदस्य 21037 है जिनमें से 9925 ऋणी सदस्य हैं, यानि अब तक इस बैंक से 9925 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। व्यावसायिक व निजी क्षेत्र के बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए बैंक किसानों में अपनी पैठ बनाए हुए है।

वसूली पर खास बल

एक और आज सहकारी भूमि विकास बैंक ऋणों की वसूली के संकट के दौर से गुजर रहे हैं वहीं बैंक अध्यक्ष, श्री कानाराम कछवाह, संचालक मण्डल के सदस्यों व बैंकसचिव श्री राजेश टांक की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि बैंक के बकाया ऋणों की वसूली बढ़ रही है। बीकानेर सहकारी भूमि विकास बैंक वर्ष 13-14 में 28फरवरी, 2014 तक अवधिपार ऋण वसूली में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर चल रहा है। कुल अवधिपार ऋण मांग की 32.98 प्रतिशत वसूली की गई है, जबकि इस समय तक राज्य औसत 6.90 प्रतिशत है। एक लाख रुपये से अधिक राशि के अवधिपार प्रकरणों में एवं 50 प्रतिशत ब्याज छूट योजना में भी सर्वाधिक वसूली कर प्रथम स्थान पर है। वर्ष 07-08 में इस बैंक की कुल ऋण वसूली मात्र 28.17 प्रतिशत थी, जो अगले वर्ष भारत सरकार की ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना के कारण 60.27 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके बाद बैंक ने वसूली के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाएं, जिससे वसूली वर्ष 11-12 में 72.26 प्रतिशत, तो 12-13 में 75.33 प्रतिशत हो गई।

श्री राजेश टांक, सचिव

बैंक ने ऋण वसूली के लिए नवाचार कार्यक्रमों को अपनाया। इनमें प्रत्येक ऋणी से मोबाईल, टेलीफोन व व्यक्तिगत आधार पर निरन्तर सम्पर्क बनाते हुए उनकी आमदनी के साधनों व ऋण की आवश्यकताओं, फसल, घरेलु समस्याओं, छूट की योजनाओं की जानकारी व ऋण जमा कराने की किस्त आदि की जानकारी देते हुए ऋणी सदस्य से मानसिक जुड़ाव बनाए रखा जा रहा है। बैंक द्वारा वर्षान्त में शेष रहे समस्त अवधिपार ऋण खातों में ऋण वसूली हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की गई है, जिससे हर ऋणी पर वसूली समय पर जमा करवाने का दबाव बना रहता है। बैंक ने अन्य सभी बैंकों से अलग-धारा 99 व 100 के तहत कार्रवाही करते हुए इसी के तहत जमीनों का विक्रय किया। धारा 99 व 100 के तहत बंधक जमीन को बिना कुर्क किए बेचा जा सकता है तथा इसमें समस्त कार्रवाई, यहां तक की विक्रय की पुष्टि व विक्रय का प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार भी न्यायालय, सचिव के पास होता है, जबकि धारा 89 में प्रक्रिया काफी जटिल है और सम्पूर्ण अधिकार भी सचिव को नहीं होते है, जिससे कार्रवाई बरसों तक पूरी नहीं होती। इसके साथ ही अधिनियमान्तर्गत कार्रवाईयों में दोहराव से बचाव करने से अनावश्यक रूप से लगने वाले समय व बैंक के साधनों का दुरूपयोग कम हुआ व इससे नोटिस, आदेश व वारण्ट इत्यादि की गरिमा भी बनी रही। बैंक द्वारा अवधिपार ऋणियों में कार्रवाई का भय व्याप्त हो, इसके लिए उदाहरण के रूप में कुछ चल सम्पत्तियों जैसे ट्रैक्टर्स को कुर्क करके व बंधक जमीनों की नीलामियां निकाली गई, उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, पेम्फलेट्स का वितरण किया गया, माइक पर प्रचार किया गया, गाड़ियों पर पर्दे लगाकर प्रचार किया गया, अखबार में नीलामी के विज्ञापन व समाचार प्रकाशित करवाए गए व कुछ वास्तविक नीलामियां भी की गई। इससे समस्त अवधिपार ऋणियों को यह महसूस होने लगा कि इस बैंक की कार्रवाई होने के बाद बचना संभव नहीं है, जिससे अवधिपार ऋणियों को नोटिस तामील कराते ही वे वसूली जमा करवाने के प्रति गंभीर होने लगते हैं।

इसके साथ ही जहां नीलामी में किसी जमीन के बोलीदाता कम आने की संभावना हो, वहां जमीनों के दलालों इत्यादि से सम्पर्क करके उनको व्यक्तिशः बोली में आमंत्रित करने, कम रुचि वाले लोगों को भी बोली प्रारम्भ करने हेतु तैयार करने जैसी कार्रवाईयां की गई, जिससे बोली असफल न हो व उसके नकारात्मक प्रभाव ऋणियों तक न जाएं। इसके अलावा नीलामी जारी करने से पहले जमीन के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उस जमीन के लगने वाले रास्तों, उसके पड़ौसियों का विवरण, उस जमीन पर स्थित मकान, कुआं, डिग्गी, झोंपड़ी, कब्जा इत्यादि की जानकारी जुटाई गई तथा उसकी नवीनतम जमाबंदी, गिरदावरी, नक्शा इत्यादि निकलवाए गए और यह सारी जानकारी उस क्षेत्र के पटवारी, गिरदावर, ग्रामसेवक, उस जमीन के पड़ौसियों, वहां स्थित अन्य सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों इत्यादि अन्य लोगों से ली गई न कि स्वयं ऋणी से। यह तरीका

सर्वाधिक प्रभावशाली रहा– क्योंकि इसमें ऋणी को धमकी नहीं दी गई – उसे सामना करने पर मजबूर नहीं किया गया– बल्कि उसे यह एहसास कराया गया कि बैंक नीलामी के प्रति गंभीर है। ऐसे मामलों में से 70 प्रतिशत में ऋणी और वसूली जमा कराने को तत्पर हो जाता है।

कम्प्यूटरीकरण

बैंक ने अपने स्तर से बैंक के समस्त मुख्य कार्य केश बुक, डे बुक, जनरल लेजर, समस्त सूचनाएं, डी.सी.बी, एन.पी.ए, पुनर्भरण इत्यादि कार्यों को कम्प्यूटर पर निष्पादित किया जाता है, जिसके कारण कार्य में पारदर्शिता के साथ-साथ समय की बचत हुई है, इसी कारण से कम कर्मचारी होते हुए भी बैंक के समस्त कार्य समय पर एवं सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। वसूली संबंधी समस्त सूचनाएं, एक्ट की कार्रवाई की सूचनाएं एवं केसवाईज स्टडी की सूचनाएं भी कम्प्यूटर में संचारित की गई है, जिससे प्रत्येक ऋण खाते का प्रभावी पर्यवेक्षण संभव हो सका, जिससे वसूली में आशातीत सफलता मिली।

वित्तीय स्थिति एवं लाभदायकता

बैंक ने अच्छे ऋण वितरण एवं अच्छी वसूली से निरन्तर लाभ अर्जित किया है। लाभ में रहने का एक मुख्य कारण एन.पी.ए. पर नियंत्रण रखना भी रहा है। वर्तमान में बैंक का एन.पी.ए लगभग 12 प्रतिशत है, जो गत दस वर्षों में सबसे कम है। एन.पी.ए. नियंत्रण के अतिरिक्त खर्चों पर नियंत्रण एवं कम स्टाफ भी बैंक का लाभ बढ़ाने में सहायक रहे हैं।

बीकानेर सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रयास सराहनीय है। इससे अन्य बैंकों के संचालक मण्डल व प्रबंधन को प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि संघर्ष के दौर से गुजर रहे दीर्घकालीन सहकार साख व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।